न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

उनवान संख्या — तारीख दायर

103 / 2014 — 19.11.2014

पीठासीन अधिकारी का नाम— दमयन्ती कंवर आर.ए.एस.

1. राजेन्द्रसिह पुत्र हरीसिंह जाति राजपुत निवासी आम तिहावली तहसील रामगढ जिला सीकर राज०
2. बन्नेसिह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम तिहावली तहसील रामगढ जिला सीकर राज०
3. बद्रीसिह पुत्र हरीसिह जाति राजपूत निवासी ग्राम तिहावली तहसील रामगढ जिला सीकर राज०
4. विकेशसिह पुत्र रतनसिह जाति राजपूत निवासी ग्राग तिहावली तहसील रामगढ जिला सीकर राज०
5. राकेशसिह पुत्र रतनसिह जाति राजपूत निवासी ग्राग तिहावली तहसील रामगढ जिला सीकर राज०
6. पुष्पा कंवर पत्नी स्व० रतनसिह जाति राजपूत निवासी ग्राम तिहावली तहसील रामगढ जिला सीकर राज०
7. अशोकसिह पुत्र ज्ञानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम तिहावली तहसील रामगढ जिला सीकर राज०
8. अजयसिंह पुत्र ज्ञानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम तिहावली तहसील रामगढ जिला सीकर राज०
9. किरण कंवर पत्नी स्व० ज्ञानसिह जाति राजपूत निवासी ग्राम तिहावली तहसील रामगढ जिला सीकर राज०

.... वादीगण

बनाम

1 भंवरसिह पुत्र जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम तिहावली तहसील रामगढ जिला सीकर राज०

2 मदनसिह पुत्र जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम तिहावली तहसील रामगढ जिला सीकर राज०

3 लादूसिंह पुत्र जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम तिहावली तहसील रामगढ जिला सीकर राज०

4 महेन्द्रसिंह पुत्र जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राग तिहावली तहसील रामगढ जिला सीकर राज०

5 दूलसिह पुत्र जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम तिहावली तहसील रामगढ जिला सीकर राज०

6 मंगेज कवर पत्नी स्व० जसवन्तसिह जाति राजपूत निवासी ग्राम तिहावली तहसील रामगढ जिला सीकर राज०

7 प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा तिहावली तहसील रागगढ जिला सीकर राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.07.22 19:42:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

8 हल्का पटवारी, पटवार हल्का बलोद छोटी तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज०

9 तहसीलदार एवं उप पजियक तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज०

10. जिला कलेक्टर सीकर जिला सीकर राज०

......प्रतिवादीगण

वाद बाबत उदघोषणा / स्थाई निषेधाज्ञा व विभाजन अर्न्तगत धारा 88 / 188 / 53 रा०का० अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता
श्री भीमसिंह महला – वादीगण
श्री दिनेश शर्मा– प्रतिवादी संख्या 2,4,6
श्री यशपाल महला– प्रतिवादी संख्या 1
श्री मुकेश भातरा– प्रतिवादी संख्या 3,5

निर्णय दिनांकः–09.07.2025

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 142 रकबा 3.57 हैक्टयर वाके ग्राम बलोद बड़ी तहसील फतेहपुर जिला सीकर में अवस्थित है। वादीगण की वंशावली पेश की। उक्त भूमि खसरा नम्बर 142 रकबा 357 हैक्टयर वाके ग्राम बलोद में से दक्षिणी ओर के रकबा 2.1356= 19 बीघा खाम भूमि वादीगण की पैत्रिक वशानुगत वृषि भूमि है जिसका पूर्व में काबिज काश्तकार वादीगण का पूर्वज हरीसिंह था उक्त भूमि के रकबा 2.1356 हैक्टयर में बरूए वंश वृक्ष वादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा भूमि, वादी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा भूमि, वादी सख्या 3 का 1/5 हिस्सा भूमि वादी संख्या 4 ता 6 का 1/5 हिस्सा भूमि तथा वादी सख्या 7 ता 9 का 1/5 हिस्सा भूमि भाग है और इसी कदर उनका कब्जा काश्त भौतिक रूप से अपने पूर्वजो के समय से रहता आता रहकर अब भी है।

उक्त भूमि खसरा नम्बर 142 रकबा 357 हैक्टयर में से दक्षिणी ओर के रकबा 2.1356 हेक्टयर का हमेशा से अर्थात रा० का० अधिनियम प्रभाव में आने के समय से वादीगण का पूर्वज हरीसिंह था तथा वादीगण व वादीगण के पूर्वज हरीसिंह का उक्त भूमि पर भौतिक कब्जा काश्त सज्ञान हर आम खास व प्रतिवादीगण निरन्तर निर्बाध रूप से चला आता रहकर अब भी है वादीगण व वादीगण के पूर्वज हरीसिंह को उक्त भूमि के रकबा 2.1356 हैक्टयर के हक खातेदारी विधि की किया द्वारा बहुत पहले ही हासिल हो चुके थे जो वादीगण अब अपने नाम उदघोषित करवाने के अधिकारी है।

वादीगण व वादीगण के पूर्वज हरीसिंह का उक्त भूमि में दक्षिणी ओर के रकबा 2.1356 हैक्टयर पर भौतिक कब्जा काश्त रहते रहने अब भी होने पर भी उक्त भूमि के सम्पूर्ण रकबा 357 हैक्टयर की खातेदारी पहले अकेली जसवन्तसिंह के नाम व अब प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम सर्वथा गलत रूप से दर्ज हो गई जो खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के अकेलों के नाम निरस्त उदघोषित करवाने 2.1356 हेक्टयर की खातेदारी वादीगण अपने नाम संशोधित करवाने के अधिकारी है। उक्त भूमि का यद्यपि माप व सीमांकन से विभाजन नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.07.22 19:42:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

हुआ है किन्तु वादीगण उक्त भूमि में दक्षिणी ओर के रकबा 2.1356 हेक्टयर को अलग से काश्त करते हैं तथा प्रतिवादीगण उत्तरी ओर के रकबा 1.4344 हेक्टयर को अलग से काश्त करते है तथा उनकी अलग अलग सींव मेड़बन्दी बनी हुई है वादी दक्षिणी ओर के रकबा 2 1356 हैक्टयर का माप व सीमाकन से विभाजन करवाकर खाता व लगान अलग से अपने अकेले के नाम करवाने के अधिकारी है।वादग्रस्त भूमि का उक्त रकबा 2.1358 हैक्टयर हमेशा से वादीगण के कब्जे काश्त का होने पर भी उक्त भूमि की खातेदारी का अंकन अकेले प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के नाम गलत दर्ज हो जाने के आधार पर प्रतिवादीगण वादीगण के उक्त भूमि के भौतिक कब्जे काश्त उपयोग उपगोग में दखल देने को उक्त भूमि को गलत रूप से अपने अकेलों की बताकर विक्रय अथवा अन्तरण करने करवाने व उक्त भूमि को रहन व ऋण भार से ग्रस्त करने करवाने को करीब 10 दिन से तत्पर है जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक अधिकार नहीं है तदर्थ प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना रार्वथा उचित आवश्यक व न्यायोचित है। वादीगण ने प्रतिवादीगण का उक्त भूमि खसरा नम्बर 142 रकबा 3.57 हैक्टयर में से रकबा 2.1358 हैक्टयर की खातेदारी वादीगण के नाम उदघोषित व संशोधित करवा देने को कई बार निवेदन किया किन्तु वे अब 2 दिन से इन्कार है अतः यह वाद संस्थित करना आवश्यक हुआ जिसका वाद कारण व हक नालिश वादीगण को हासिल है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 142 रकबा 3.57 हैक्टयर ग्राम बलोद बड़ी में स्थित होने से वाद का श्रवणाधिकार गान्य न्यायालय को हासिल है।

वाद बाबत विभाजन होने से प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 को आवश्यकीय व प्रपत्रीय पक्षकार संयोजित किया है उक्त भूमि का हिस्सा भूमि गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 7 के यहां रहन रख दिया जाने से प्रतिवादी संख्या 7 को पक्षकार बनाया गया है। वाद वादी निर्धारित न्यायशुल्क पर सावधि पेश है।

वादीगण की प्रार्थना है :–

क. वाद वादीगण बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 142 रकबा 3.57 हैक्टयर वाके ग्राम बलोद बड़ी तहसील फतेहपुर में से रकबा 2.1356 हैक्टयर का काबिज खातेदार काश्तकार वादीगण को उदघोषित किया जावे तथा खाता बनाम प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 बाबत 2.1356 निरस्त उदघोषित किया जावे कि उक्त रकबा 2.1356 हैक्टयर में वादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा वादी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 4 ता 6 का 1/5 हिस्सा, व वादी संख्या 7 ता 9 का 1/5 हिस्सा भूमि भाग है।उक्त भूमि खसरा नम्बर 142 रकबा 3.57 हैक्टयर का माप व सीमांकन से विभाजन किया जाकर दक्षिणी ओर के रकबा 2.1366 हैक्टयर का खाता व लगान वादीगण के नाम अलग से निर्धारित किया जावे।

ग. प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वे भूमि खसरा नम्बर 142 रकबा 3.57 हेक्टयर में से दक्षिणी ओर के रकबा 2.1356 हैक्टयर भूमि के वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखल [illegible] उक्त भूमि के किसी भाग अनुभाग को विक्रय अथवा अन्यथा अन्तरण [illegible] ऋण भार से ग्रस्त करने व रहन आदि करने करवाने से [illegible] व एजेन्ट बाज रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.07.22 19:42:54 IST
Reason: SelfAttested

मिसल मुर्तिव की जाकर प्रतिवादीगण की तलवी की गयी। प्रतिवादी संख्या 2,4,6 की की ओर से श्री दिनेश शर्मा एड0 ने वकालतनामा पेश किया।प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री यशपाल महला ने वकालतनामा व जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 7 की ओर

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

से श्री नारायण एड0 ने वकालतनामा व जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 5,8,9 बावजुद सूचना हाजिर नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 10 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहने पर इनकी तलबी बंद की गयी। प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा पेश हुआ जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण में से पक्षकारान ने भूमि खसरा नम्बर 142 वाके ग्राम बलोद बड़ी में से अपने हिस्से को बैंक ऑफ बडौदा, शाखा तिहावली के पास रहन रखकर कृषि ऋण ले रखा है जो अभी तक बकाया है। इसलिये जब तक सम्बन्धित ऋणदाता द्वारा पूरा ऋण बैंक को चुका नहीं दिया जाता है तब तक किसी भी प्रकार से भूमि खसरा नम्बर 142 का जमाबन्दी में संशोधन नहीं किया जा सकता है।

अतः जबाब दावा पेश कर सादर निवेदन है कि बैंक ऑफ बड़ौदा तिहावली की पूरी बकाया रकम पक्षकारान से जमा करवाये जाने की कृपा की जावे।

प्रतिवादी संख्या 2,3,6 की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है किदावा में आराजी ख0न0 142 रकबा 3.57 हैक्टेयर वाके ग्राम बलोद बडी तहसील फतेहपुर जिला सीकर अवस्थित होना स्वीकार है।दावा में वादीगण की जो वंशावली अंकित की गई है उसकी जानकारी के अभाव में उक्त वंशावली स्वीकार नही है। दावा में वर्णित कथन गलत होने के कारण स्वीकार नही है। आराजी ख०न0 142 रकबा 3.57 हैक्टेयर वाके ग्राम बलोद में दक्षिणी ओर की भुमि रकबा 2.1356 हैक्टेयर बराबर 19 बीघा खाम वादीगण की पैतृक वंशानुगत कृषि भुमि नही है उक्त भुमि का खातेदार कभी भी वादीगण का पूर्वज हरिसिंह नही था तथा उक्त कृषि भुमि 2.1356 हैक्टेयर भुमि में वादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा वादी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा वादी संख्या 3 का 1/5 हिस्सा वादी संख्या 4 लगायत 6 का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 7 लगायत 9 का 1/5 हिस्सा कभी नही रहा तथा ना ही उनका उक्त भुमि पर कब्जा काश्त कभी भी अपने पूर्वजो के समय से नही रहा है तथा ना ही वर्तमान में उक्त भुमि पर उनका कोई कब्जा काश्त है वादीगण ने इस मद में कतई गलत कथन अंकित किये है जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध सरोकार नही है दावा वादीगण हर सूरत मे खारिज किये जाने योग्य है।दावा में वर्णित कथन गलत होने के कारण स्वीकार नही है। आराजी ख0न0 142 रकबा 3.57 हैक्टेयर के दक्षिणी ओर के अथवा किसी भी हिस्से पर वादीगण के पूर्वज हरिसिंह का कभी कोई कब्जा काश्त कभी नही रहा तथा जब वादीगण के पूर्वज हरिसिंह का उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही रहा तब वादीगण का उक्त भुमि के किसी हिस्से पर कब्जा काश्त होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। वादीगण व उसके पूर्वज हरिसिंह को उक्त कृषि भुमि के 2.1356 हैक्टेयर भुमि के सम्बन्ध में कोई खातेदारी अधिकार किसी भी विधि की किया के अनुसार कभी प्राप्त नही हुए वादीगण को उक्त कृषि भुमि के किसी हिस्से के बाबत खातेदारी उद्घोषित कराने का कोई हक अधिकार नही है दावा वादीगण कतई गलत तथ्यो के आधार पर हम प्रतिवादीगण के वैध हक खाते, कब्जे, काश्त की भुमि को नाजायज रूप से हडपने के लिये गलत रूप से प्रस्तुत किया है जो हर सूरत मे खारिज किये जाने योग्य है। दावा में वर्णित कथन गलत होने के कारण स्वीकार नही है। वादीगण व वादीगण के पूर्वज हरिसिंह का उक्त कृषि भुमि के किसी भी हिस्से पर कोई कब्जा काश्त कभी नही रहा तथा ना ही वर्तमान में है। उक्त कृषि भुमि की खातेदारी पूर्व में जसवन्तसिंह के नाम बिलकुल सही रूप से बनी हुई थी तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त उक्त कृषि भुमि की खातेदारी बिलकुल सही व वैध रूप से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के नाम दर्ज हुई है। उक्त कृषि भुमि को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 हमेशा की तरह काश्त व अपने उपयोग उपभोग निरन्तर निर्बाध शान्तिपूर्वक तरीके से लेते चले आ रहे है। जिसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.07.22 19:42:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

वादीगण को किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा करने का कोई हक अधिकार नही है वादीगण को उक्त कृषि भुमि में 2.1356 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी अपने नाम उद्घोषित करवाने का कोई हक अधिकार नही है क्योकि उनका उक्तभुमि से कभी कोई सम्बन्ध सरोकार नही रहा है इसलिये भी दावा वादीगण खारिज किये जाने योग्य है। दावा में वर्णित कथन गलत होने के कारण स्वीकार नही है। उक्त भुमि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के खाते कब्जे काश्त की भुमि है जो उक्त कृषि भुमि को अपने आपसी सेटलमेन्ट से काश्त करते चले आ रहे है वादीगण का उक्त कृषि भुमि के किसी हिस्से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है तथा ना ही उनकी कोई नीव सींव मौके पर मौजूद है उक्त सम्पूर्ण कृषि भुमि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के खाते कब्जे काश्त में निरन्तर निर्बाध शान्तिपूर्वक तरीके से चली आ रही है। जिसका विभाजन कराने का वादीगण को कोई हक अधिकार नही है। इसलिये दावा वादीगण खारिज किये जाने योग्य है।

दावा में वर्णित कथन गलत होने के कारण स्वीकार नही है। विवादग्रस्त भुमि का रकबा 2.1356 हैक्टेयर भूमि पर कभी भी वादीगण का कोई कब्जा काश्त कभी नही रहा उक्त भुमि की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के नाम बिलकुल सही व वैध रूप से बनी हुई है जिसे प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 निरन्तर निर्बाध शान्तिपूर्वक तरीके से काश्त करते चले आ रहे है जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का वादीगण कोई हक अधिकार नही है। उक्त कृषि भुमि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के खाते कब्जे काश्त की कृषि भुमि है जिसे हर प्रकार से अपने उपयोग उपभोग में लेने का अधिकार प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 को है। वादीगण का उक्त कृषि भुमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है इसलिये वादीगण को हम प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का तथा हम प्रतिवादीगण को जरिये निषेधाज्ञा प्रतिबंधित कराने काकोई हक अधिकार नही है दावा वादीगण खारिज किये जाने योग्य है। दावा में वर्णित कथन गलत होने के कारण स्वीकार नही है। आराजी ख0न0 142 रकबा 3.57 हैक्टेयर में से 2.1356 हैक्टेयर भूमि अथवा उसके किसी भी भूभाग की खातेदारी वादीगण को अपने उद्घोषित कराने का कोई हक अधिकार नही है वादीगण के द्वारा इस मद में वर्णित कथन कभी भी हम प्रतिवादीगण से नही कहे वादीगण के द्वारा कोई स्पष्ट वादकारण इस मद में अंकित नही किया है वादीगण को उक्त वाद प्रस्तुत करने बाबत कोई वाद कारण व हकनालिश हासिल नही है दावा वादीगण वादकारण के अभाव में अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा०दी० खारिज किये जाने योग्य है। दावा में वर्णित कथन गलत होने के कारण स्वीकार नही है। दावा माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का नही होने से दावा वादीगण खारिज किये जाने योग्य है।दावा में वर्णित कथन गलत होने के कारण स्वीकार नही है।दावा में वर्णित कथन गलत होने के कारण स्वीकार नही है। दावा अवधि वादित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। दावा मय उपधारा क, ख, ग व घ गलत होने के कारण स्वीकार नहीं है। वादीगण दावा में किसी प्रकार की कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नही है दावा वादीगण खारिज किये जान योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.07.22 19:42:54 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त कथन में दर्ज किया कि दावा वादीगण कानूनन ... होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। दावा वादीगण ... के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण को उक्त वाद प्रस्तुत करने का कोई लोकस्टेण्डाई हासिल नही होने के कारण दावा वादीगण खारिज किये जाने योग्य है। हम प्रतिवादगण उक्त कृषि भुमि के रिकोर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है कानूनन रिकोर्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है इसलिये भी दावा वादीगण खारिज किये

उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

जाने योग्य है। उक्त कृषि भुमि पर प्रतिवादीगण द्वारा बैंक ऑफ बडौदा शाखा तिहावली से कृषि ऋण भी लिया हुआ है जो कि बैंक के द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त भुमि में उनके नाम बनी हुई खातेदारी व उक्त भुमि पर उनके कब्जे को देखकर विधिवत् रूप से दिया गया है इससे भी यह प्रमाणित है कि वादीगण का विवादित भुमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है इसलिये भी दावा वादीगण खारिज किये जाने योग्य है।

विवादित कृषि भुमि के खातेदार पुर्व में जसवन्तसिंहजी थे जिनके द्वारा उक्त भुमि अपनी मृत्यु पर्यन्त तक निरन्तर निर्वाध शान्तिपूर्वक तरीके से काश्त की जाती रही तथा उक्त भुमि का लगान भी उक्त जसवन्तसिंहजी के द्वारा ही नियमितरूप से अदा किया जाता रहा तथा जसवन्तसिंहजी की मृत्यु के उपरान्त उक्त भुमि की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के नाम विधिवत् रूप से बन गई तथा अब जसवन्तसिंहजी की मृत्यु के उपरान्त आज तक उक्त कृषि भुमि को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के द्वारा निरन्तर निर्बाध शान्तिपूर्वक तरीके से काश्त किया जाता रहा है वादीगण का उक्त भुमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। प्रतिवादीगण की भुमि विवादित भुमि के पूरब की ओर सीवाजोड स्थित है इसलिये वे विवादित भुमि को हडपना चाहते है इसलिये उनके द्वारा सही व वास्तविक तथ्यो को जानबूझकर छिपाकर माननीय न्यायालय में उक्त वाद बिना किसी आधार के गलत रूप से प्रस्तुत किया है जो हर सूरत में खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण के द्वारा सही व वास्तविक तथ्यो को जानबूझकर माननीय न्यायालय से छिपाया है तथा वह स्वच्छ हाथो से माननीय न्यायालय के समक्ष नही आया है इसलिये भी दावा वादीगण खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण ने यह दावा कतई गलत तथ्यों के आधार पर हम प्रतिवादीगण के खाते कब्जे काश्त की भुमि को नाजायज' रूप से हडपने के लिये गलत रूप से प्रस्तुत किया है जो पच्चीस हजार रूपये विशेष हर्जे सहित खारिज किये जाने योग्य है तथा विशेष हर्जा पच्चीस हजार रूपये वादीगण से हम प्रतिवादीगण को दिलाया जाना न्यायोचित है।इसलिये जवाब दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण मय विशेष हर्जा पच्चीस हजार रूपये खारिज फरमाने की कृपा करे तथा विशेष हर्जा पच्चीस हजार रूपये वादीगण से हम प्रतिवादीगण को दिलाये जाने के आदेश न्यायहित मे पारित फरमाने की कृपा करे।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण को इस कदर अनुतोष दिये जाने में मुझे आपत्ति नहीं है कि वादीगण को उक्त भूमि खसरा नम्बर 142 रकबा 3.57 हैक्टयर वाके ग्राम बलोद बडी में रकबा 2.1356 हैक्टयर का खाता वादीगण के नाम उदघोषित किये जाने व उक्त भूमि के दक्षिणी ओर के रकबा 2.1356 हैक्टयर का खाता वादीगण के नाम अलग से व उत्तरी ओर के रकबा 1.4344 हैक्टयर का खाता प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम अलग अलग करने की कृपा करें ।शेष की ओर से जवाब दावा पेश नहीं करने पर इनकी जवाबदेही बंद की गई।

प्रकरण में वादीगण राजेन्द्र सिंह,विकेश सिं[illegible] अन्य ने जरिये अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 1,2,3,5 ने स्वयं हाजिर [illegible]मा पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमि [illegible] 142 [illegible] वाके ग्राम बेलाद बडी तहसील फतेहपुर के दक्षिणी ओर के रकबा 2.1[illegible]क्टेयर के काबिज खातेदार काश्तकार पहले हरिसिंह पुत्र उगमसिंह जाति राजपूत निवासी [illegible]हावली थे तथा अब उक्त 2. 11 हैक्टेयर भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार वादीगण है खसरा नम्बर 142 रकबा 3.57 हैक्टेयर में से रकबा 2.11 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1 राजेन्द्रसिंह का 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 2 बन्नेसिंह का 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 3 बद्रीसिंह का 1/5 हिस्सा, वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.07.22 19:42:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
फतेहपुर-सीकर (राज.)

संख्या 4 विकेशसिंह वादी संख्या 5 राकेशसिंह वादी संख्या 6 पुष्पाकंवर का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा वादी संख्या 7 अशोकसिंह वादी संख्या 8 अजयसिंह व वादी संख्या 9 किरण कंवर का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा भूमि भाग हैं और इसी कदर उनके नाम खाता संशोधित किये जाने तथा खाता बनाम प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 बाबत 2.11 हैक्टेयर निरस्त करने में हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है तथा उक्त ख0न0 142 के रकबा 3.57 हैक्टेयर में से दक्षिणी ओर के रकबा 2.11 हैक्टेयर का खाता व लगान अलग से वादीगण के नाम तथा उत्तरी ओर के रकबा 1.46 हैक्टेयर का खाता व लगान हम प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के नाम अलग से निर्धारित करने में हमें कोई आपत्ति नही है।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा निर्णित फरमाने की कृपा करे।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 के मध्य राजीनामा पेश हुआ जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 142 रकबा 3.57 हैक्टेयर वाके ग्राम बलोद बडी तहसील फतेहपुर के दक्षिणी ओर के रकबा 2.11 हैक्टेयर के काबिज खातेदार काश्तकार पहले हरिसिंह पुत्र उगमसिंह जाति राजपूत निवासी तिहावली थे तथा अब उक्त 2. 11 हैक्टेयर भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार वादीगण है खसरा नम्बर 142 रकबा 3.57 हैक्टेयर में से रकबा 2. 11 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1 राजेन्द्रसिंह का 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 2 बन्नेसिंह का 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 3 बद्रीसिंह का 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 4 विकेशसिंह वादी संख्या 5 राकेशसिंह वादी संख्या 6 पुष्पाकंवर का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा वादी संख्या 7 अशोकसिंह वादी संख्या 8 अजयसिंह व वादी संख्या 9 किरण कंवर का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा भूमि भाग हैं और इसी कदर उनके नाम खाता संशोधित किये जाने तथा खाता बनाम प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 बाबत 2.11 हैक्टेयर निरस्त करने में हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है तथा उक्त ख0न0 142 के रकबा 3.57 हैक्टेयर में से दक्षिणी ओर के रकबा 2. 11 हैक्टेयर का खाता व लगान अलग से वादीगण के नाम तथा उत्तरी ओर के रकबा 1.46 हैक्टेयर का खाता व लगान हम प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के नाम अलग से निर्धारित करने में हमें कोई आपत्ति नही है।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा निर्णित फरमाने की कृपा करे।

प्रकरण में सशपथ बयान पीडब्ल्यु 1 बद्रीसिंह, पीडब्ल्यु 2 विकेश सिंह, पीडब्ल्यु3 पन्नेसिंह, पीडब्ल्यू 4 शक्तिसिंह, पीडब्ल्यू 5 देवीसिंह के पेश हुए। वादपत्र के समर्थन में पेश दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2058–2061 प्रदर्श–1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श–2, जमाबंदी(खसरा गिरदावरी) संवत् 2014–2017 प्रदर्श–3, जमाबंदी(खसरा गिरदावरी) संवत् 2018–2021 प्रदर्श–4, गिरदावरी संवत् 2022–2025 प्रदर्श–5, जमाबंदी संवत 2030–2033 प्रदर्श–6, जमाबंदी संवत 2017–2020 प्रदर्श–7 है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.07.22 19:42:54 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के मध्य राजीनामा के आधार पर खसरा 142 रकबा 3.57है. वाके ग्राम बलोद बड़ी में से रकबा 2.11है0 का काश्तकार खातेदार वादीगण को उद्घोषित किया गया तथा प्रतिवादी सं 1 ता 6 बाबत 2.11है0 निरस्त उद्घोषित किया गया। उक्त रकबा 2.11है0 में वादी सं0 1 का 1/5 हिस्सा, वादी सं0 2 का 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1/5 हिस्स, वादी सं 4 ता 6 का 1/5 हिस्सा एवं वादी सं0 7 ता 9 का 1/5 हिस्सा भूमि भाग उदघोषित किया गया। प्रकरण में प्राथमिक डिकी जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

तहसीलदार फतेहपुर से विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक 2086 दिनांकित 29.07.2022 प्राप्त हुआ। प्रतिवादी संख्या 5 ने उक्त विभाजन प्रस्ताव में पृथक से रास्ते का अंकन नहीं होने पर आपत्ति जाहिर की। आपत्ति स्वीकार की जाकर पुनः विभाजन प्रस्ताव हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार फतेहपुर से प्रकरण में पुनः विभाजन प्रस्ताव मय मौका नक्शा जरिये पत्रांक 947 दिनांक 13.06.2025 प्राप्त हुआ। तहसीलदार फतेहपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभयपक्ष ने सहमति जाहिर की।

उभयपक्ष के अधिवक्ता ने तहसीलदार फतेहपुर से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव मय मौका नक्शा जरिये पत्रांक 947 दिनांक 13.06.2025 पर सहमति जताई है। बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 142 रकबा 3.57 हैक्टयर जिसके नवीन ख0न0 237 रकबा 1.36है0, ख0न0 238 रकबा 0.81है0 ख0न0 241 रकबा 1. 40है0 वाके ग्राम बलोद बड़ी तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान का निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

क्र.सं.	नाम खातेदारान	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
1.	कमला कंवर पुत्री मदनसिंह हि. 9/280 जाति राजपूत सा.तिहावली खातेदार राहिन बैंक आफ बडौदा फतेहपुर कृष्णसिंह पुत्र मदनसिंह हि. 9/280 जाति राजपूत सा. तिहावली खातेदार राहिन बैंक आफ बडौदा फतेहपुर चांदू सिंह पुत्र मदनसिंह हि. 9/280 जाति राजपूत सा.तिहावली खातेदार राहिन बैंक आफ बडौदा फतेहपुर मून्नी कंवर पुत्री मदनसिंह हि. 9/280 जाति राजपूत सा.तिहावली खातेदार राहिन बैंक आफ बडौदा फतेहपुर शंकर सिंह पुत्र मदनसिंह हि. 9/280 जाति राजपूत सा. तिहावली खातेदार राहिन बैंक आफ बडौदा फतेहपुर सरोज कंवर पुत्री मदनसिंह हि. 9/280 जाति राजपूत सा.तिहावली खातेदार राहिन बैंक आफ बडौदा फतेहपुर दुलसिंह पुत्र जसवंतसिंह हि. 11/56 जाति राजपूत सा. तिहावली खातेदार भंवरसिंह पुत्र जसवंतसिंह हि. 11/56 जाति राजपूत सा. तिहावली खातेदार भंवरी कंवर पुत्री जसवंतसिंह हि. 3/140 जाति राजपूत सा. तिहावली खातेदार महेन्द्रसिंह पुत्र जसवंतसिंह हि. 11/56 जाति राजपूत सा. तिहावली खातेदार राहिन बैंक आफ बड़ौदा फतेहपुर लादूसिंह पुत्र जसवंतसिंह हि. 11/56 जाति राजपूत सा. तिहावली खातेदार राहिन बैंक आफ बडौदा फतेहपुर	237/1 241/1	0.62 0.78	बा.1 बा.1	3.96 4.80
		किता 2	1.40	–	8.76

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.07.22 19:42:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

2.	राजेन्द्रसिंह बन्नेसिंह बद्रीसिंह पि0 हरिसिंह हि. 1/3 ब.हि.ब. विकेश सिंह राकेशसिंह पि0 रतनसिंह पुष्पा कंवर पत्नी रतनसिंह हि. 1/3 ब.हि.ब. अशोक सिंह अजयसिंह पि. ज्ञानसिंह किरण कंवर पत्नि ज्ञानसिंह हि. 1/3 ब.हि.ब.	237/3 241/3 238	0.70 0.58 0.81	बा.1 बा.1 बा.1	4.20 3.60 4.86
		किता 3	2.09	—	12.66
3.	कमला कंवर पुत्री मदनसिंह हि. 13/400 जाति राजपूत सा. तिहावली खातेदार राहिन बैंक आफ बडौदा शाखा फतेहपुर कृष्णासिंह पुत्र मदनसिंह हि. 13/400 जाति राजपूत सा. तिहावली खातेदार राहिन बैंक आफ बडौदा शाखा फतेहपुर चांदूसिंह पुत्र मदनसिंह हि. 13/400 जाति राजपूत सा. तिहावली खातेदार राहिन बैंक आफ बडौदा शाखा फतेहपुर मुन्नी कंवर पुत्री मदनसिंह हि. 13/400 जाति राजपूत सा. तिहावली खातेदार राहिन बैंक आफ बडौदा शाखा फतेहपुर शंकरसिंह पुत्र मदनसिंह हि. 13/400 जाति राजपूत सा. तिहावली खातेदार राहिन बैंक आफ बडौदा शाखा फतेहपुर सरोज कंवर पुत्री मदनसिंह हि. 13/400 जाति राजपूत सा. तिहावली खातेदार राहिन बैंक आफ बडौदा शाखा फतेहपुर महेन्द्रसिंह पुत्र जसवंतसिंह हि. 31/160 जाति राजपूत सा. तिहावली खातेदार राहिन बैंक आफ बडौदा शाखा फतेहपुर लादूसिंह पुत्र जसवंतसिंह हि. 31/160 जाति राजपूत सा. तिहावली खातेदार राहिन बैंक आफ बडौदा शाखा फतेहपुर दूलसिंह पुत्र जसवंतसिंह हि. 31/160 जाति राजपूत सा. तिहावली खातेदार भंवरसिंह पुत्र जसवंतसिंह हि. 31/160 जाति राजपूत सा. तिहावली खातेदार भंवरी कंवर पुत्री जसवंतसिंह हि. 3/100 जाति राजपूत सा. तिहावली खातेदार	237/2 241/2	0.04 0.04	गै.मु.रा. गै.मु.रा.	— —
		किता 2	0.08	—	—

खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे। रहन खातेदारान ... तहसीलदार फतेहपुर द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांकित 13.06.2025 एवं नक्शा ... अभिन्न भाग रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.07.22 19:42:54 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अंतिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर(राज.)

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी................मुकाम.........फतेहपुर (सीकर)

इजलास............... दमयन्ती कंवर (आर.ए.एस..)...

1. राजेन्द्रसिह पुत्र हरीसिंह जाति राजपुत निवासी आम तिहावली तहसील रामगढ जिला सीकर राज०
2. बन्नेसिह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम तिहावली तहसील रामगढ जिला सीकर राज०
3. बद्रीसिह पुत्र हरीसिह जाति राजपूत निवासी ग्राम तिहावली तहसील रामगढ जिला सीकर राज०
4. विकेशसिह पुत्र रतनसिह जाति राजपूत निवासी ग्राग तिहावली तहसील रामगढ जिला सीकर राज०
5. राकेशसिह पुत्र रतनसिह जाति राजपूत निवासी ग्राग तिहावली तहसील रामगढ जिला सीकर राज०
6. पुष्पा कंवर पत्नी स्व० रतनसिह जाति राजपूत निवासी ग्राम तिहावली तहसील रामगढ जिला सीकर राज०
7. अशोकसिह पुत्र ज्ञानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम तिहावली तहसील रामगढ जिला सीकर राज०
8. अजयसिंह पुत्र ज्ञानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम तिहावली तहसील रामगढ जिला सीकर राज०
9. किरण कंवर पत्नी स्व० ज्ञानसिह जाति राजपूत निवासी ग्राम तिहावली तहसील रामगढ जिला सीकर राज०

.... वादीगण

बनाम

1 भंवरसिह पुत्र जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम तिहावली तहसील रामगढ जिला सीकर राज०

2 मदनसिह पुत्र जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम तिहावली तहसील रामगढ जिला सीकर राज०

3 लादूसिंह पुत्र जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम तिहावली तहसील रामगढ जिला सीकर राज०

4 महेन्द्रसिंह पुत्र जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राग तिहावली तहसील रामगढ जिला सीकर राज०

5 दूलसिह पुत्र जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम तिहावली तहसील रामगढ जिला सीकर राज०

6 मंगेज कवर पत्नी स्व० जसवन्तसिह जाति राजपूत निवासी ग्राम तिहावली तहसील रामगढ जिला सीकर राज०

7 प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा तिहावली तहसील रागगढ जिला सीकर राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.07.22 19:42:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

8 हल्का पटवारी, पटवार हल्का बलोद छोटी तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज०

9 तहसीलदार एवं उप पजियक तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज०

10. जिला कलेक्टर सीकर जिला सीकर राज०

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत उदघोषणा / स्थाई निषेधाज्ञा व विभाजन अर्न्तगत धारा 88 / 188 / 53 रा०का० अधिनियम

मुकद्मा नं.....103..........................सन्.....2014..

यह मुकद्मा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..........मेरे..

व हाजिरी...श्री भीमसिंह महला एडवोकेट..........................मिनजानिब मुद्दई रूबरू......श्री दिनेश शर्मा एड0,यशपाल महला एड0, मुकेश भातरा एड0 .... मनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 142 रकबा 3.57 हैक्टयर जिसके नवीन ख0न0 237 रकबा 1.36है0, ख0न0 238 रकबा 0.81है0 ख0न0 241 रकबा 1.40है0 वाके ग्राम बलोद बड़ी तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान का निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

क्र.सं.	नाम खातेदारान	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
1.	कमला कंवर पुत्री मदनसिंह हि. 9/280 जाति राजपूत सा.तिहावली खातेदार राहिन बैंक आफ बडौदा फतेहपुर कृष्णसिंह पुत्र मदनसिंह हि. 9/280 जाति राजपूत सा. तिहावली खातेदार राहिन बैंक आफ बडौदा फतेहपुर चांदू सिंह पुत्र मदनसिंह हि. 9/280 जाति राजपूत सा.तिहावली खातेदार राहिन बैंक आफ बडौदा फतेहपुर मून्नी कंवर पुत्री मदनसिंह हि. 9/280 जाति राजपूत सा.तिहावली खातेदार राहिन बैंक आफ बडौदा फतेहपुर शंकर सिंह पुत्र मदनसिंह हि. 9/280 जाति राजपूत सा. तिहावली खातेदार राहिन बैंक आफ बडौदा फतेहपुर सरोज कंवर पुत्री मदनसिंह हि. 9/280 जाति राजपूत सा.तिहावली खातेदार राहिन बैंक आफ बडौदा फतेहपुर दुलसिंह पुत्र जसवंतसिंह हि. 11/56 जाति राजपूत सा. तिहावली खातेदार भंवरसिंह पुत्र जसवंतसिंह हि. 11/56 जाति राजपूत सा. तिहावली खातेदार भंवरी कंवर पुत्री जसवंतसिंह हि. 3/140 जाति राजपूत सा. तिहावली खातेदार महेन्द्रसिंह पुत्र जसवंतसिंह हि. 11/56 जाति राजपूत सा. तिहावली खातेदार राहिन बैंक आफ बड़ौदा फतेहपुर लादूसिंह पुत्र जसवंतसिंह हि. 11/56 जाति राजपूत सा. तिहावली खातेदार राहिन बैंक आफ बडौदा फतेहपुर	237/1 241/1	0.62 0.78	बा.1 बा.1	3.96 4.80
		किता 2	1.40	–	8.76

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.07.22 19:42:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

2.	राजेन्द्रसिंह बन्नेसिंह बद्रीसिंह पि0 हरिसिंह हि. 1/3 ब.हि.ब. विकेश सिंह राकेशसिंह पि0 रतनसिंह पुष्पा कंवर पत्नी रतनसिंह हि. 1/3 ब.हि.ब. अशोक सिंह अजयसिंह पि. ज्ञानसिंह किरण कंवर पत्नि ज्ञानसिंह हि. 1/3 ब.हि.ब.	237/3 241/3 238	0.70 0.58 0.81	बा.1 बा.1 बा.1	4.20 3.60 4.86
		किता 3	2.09	—	12.66
3.	कमला कंवर पुत्री मदनसिंह हि. 13/400 जाति राजपूत सा. तिहावली खातेदार राहिन बैंक आफ बडौदा शाखा फतेहपुर कृष्णासिंह पुत्र मदनसिंह हि. 13/400 जाति राजपूत सा. तिहावली खातेदार राहिन बैंक आफ बडौदा शाखा फतेहपुर चांदूसिंह पुत्र मदनसिंह हि. 13/400 जाति राजपूत सा. तिहावली खातेदार राहिन बैंक आफ बडौदा शाखा फतेहपुर मुन्नी कंवर पुत्री मदनसिंह हि. 13/400 जाति राजपूत सा. तिहावली खातेदार राहिन बैंक आफ बडौदा शाखा फतेहपुर शंकरसिंह पुत्र मदनसिंह हि. 13/400 जाति राजपूत सा. तिहावली खातेदार राहिन बैंक आफ बडौदा शाखा फतेहपुर सरोज कंवर पुत्री मदनसिंह हि. 13/400 जाति राजपूत सा. तिहावली खातेदार राहिन बैंक आफ बडौदा शाखा फतेहपुर महेन्द्रसिंह पुत्र जसवंतसिंह हि. 31/160 जाति राजपूत सा. तिहावली खातेदार राहिन बैंक आफ बडौदा शाखा फतेहपुर लादूसिंह पुत्र जसवंतसिंह हि. 31/160 जाति राजपूत सा. तिहावली खातेदार राहिन बैंक आफ बडौदा शाखा फतेहपुर दूलसिंह पुत्र जसवंतसिंह हि. 31/160 जाति राजपूत सा. तिहावली खातेदार भंवरसिंह पुत्र जसवंतसिंह हि. 31/160 जाति राजपूत सा. तिहावली खातेदार भंवरी कंवर पुत्री जसवंतसिंह हि. 3/100 जाति राजपूत सा. तिहावली खातेदार	237/2 241/2	0.04 0.04	गै.मु.रा. गै.मु.रा.	— —
		किता 2	0.08	—	—

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.07.22 19:42:54 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे। रहन खातेदारान ब[illegible] रह[illegible] तहसीलदार फतेहपुर द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांकित 13[illegible] अभिन्न भाग रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....09......माह ......जुलाई..........सन् 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

दस्तखत.................................
(हस्ताक्षर)

ओहदा.................................
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	6		स्टाम्प अर्जी दावा	–	
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	4	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महन्ताना वकील	–		महन्ताना वकील	–	
खर्चा गवाहान	–		खर्चा गवाहान	–	
फीस कमिश्नर	–		फीस कमिश्नर	–	
बबत इजराय हुक्मनामा	–		बबत इजराय हुक्मनामा	–	
मुतफरिक	12		मुतफरिक	6	
मीजान	19			10	

नोट – इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पुरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हा या नहीं।

(मुहर)

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.07.22 19:42:54 IST
Reason: SelfAttested